

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2


लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2013

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:-बु0वि0/सम्ब/2013/3750-51, दिनांक 24.7.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं समाजशास्त्र) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता आदेश निर्गत करने के पूर्व विगत वर्षों का अनुमोदित परीक्षाफल, सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र एवं भूमि की पुष्टि होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा :-

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में, विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।
- (ii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है, तो सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।



- (iii) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" इस व्यवस्था का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-
- 37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेंगे और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
- 37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
- उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
- (v) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा करा ली गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vi) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार इस बात का भली-भाँति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (vii) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(viii) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संख्या- सम्ब0-464 (1)/सत्तर-2-2013-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन
- (4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (5) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2013/5143-5151

दिनांक :- 11/09/2013

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन।
2. समाजकल्याण अधिकारी जालौन।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

क्र. 001/01/एम्बो/2013/3750-51

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक 24-7-2013

संदर्भ : सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
उ०प्र० शासन,
लखनऊ

विषय :- केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान अर्थशास्त्र, राज० विज्ञान इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01/7/2013 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राज० विज्ञान, इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01/7/2013 से सम्बद्धता हेतु कुलपति जी द्वारा महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के लिये निम्नलिखित निरीक्षण मण्डल का गठन किया है।

1. प्रो० एम० एल० मौर्य, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
2. डा० सी० बी० सिंह, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
3. डा० राजेश सैनी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।

उक्त निरीक्षण मण्डल द्वारा महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया और निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की। (निरीक्षण आख्या संलग्न है।) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों को शासनादेश दिनांक 10 जून 2008 द्वारा गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 27/07/2013 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है।



फैक्स

0510

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक 24/7/2013

संदर्भ... 80/80/(नम्बर) 2013/3750-51

प्रमाण-पत्र "ए"

केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान अर्थशास्त्र, राज० विज्ञान इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973, विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं समय समय पर शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित किये गये मानकों/शर्तों के अनुसार प्रस्ताव की जाँच कर ली गयी है। तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान अर्थशास्त्र, राज० विज्ञान इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करता है एवं उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।

अतः संस्तुति की जाती है कि केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान अर्थशास्त्र, राज० विज्ञान इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी जाय।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

(प्रो० अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
कुलपति



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ.....

दिनांक.....

“निरीक्षण आख्या एवं संलग्न अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त वस्तुस्थिति निम्नवत् है

समस्त मानक पूर्ण है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राज0विज्ञान, इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रम में प्रपत्र ए पर दिनांक 1/7/2013 से सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

तदनुसार शासन एवं महाविद्यालय को अवगत करा दिया जाय

अतः निर्देशानुसार सूचित करना है कि केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राज0विज्ञान, इतिहास समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान एवं गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01/7/2013 से सम्बद्धता की संस्तुति की जाती है शासनादेश संख्या 193/सत्तर-2-2003-2 (166)/2002 दिनांक 13 जनवरी 2003 के अनुसार प्रपत्र “ए” संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- प्रबंधक, केशव देव तिवारी महाविद्यालय, गोहन, जालौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव